प्रकरण संख्या 04 / 2019 RCMS ID-2019 / 00144 तारीख रजु–14.06.2019

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार – अपीलार्थी

बनाम

माधोसिंह पुत्र धर्मसिंह गुर्जर निवासी बनकी थाना सदर हिण्डौन – प्रत्यर्थी

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–06.11.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री माधोसिंह पुत्र धर्मसिंह गुर्जर निवासी बनकी थाना सदर हिण्डौन जिला करौली ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश न्याय / 15 / 515 दिनांक 04.02.2015 जिसके द्वारा श्री गुर्जर का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, के विरूद्ध अपील संख्या 53 / 15 माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील में दिनांक 16.03.2018 को निर्णय पारित करते हुये श्री गुर्जर की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि श्री गुर्जर को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर श्री गुर्जर को व्यक्तिगत तलब किया जाकर वकालतन / असालतन सुनवाई हेतु अवसर दिया गया।

बहस के दौरान श्री गुर्जर ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि शस्त्र को संबंधित थाने में जमा कराये जाने के समाचार पत्रों में प्रकाशित निर्देशों की जानकारी नहीं रही है और मुझे व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। शस्त्र जमा कराने की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण शस्त्र को जमा नहीं करवा पाया। अंत में मेरे शस्त्र लाइसेन्स को बहाल करना फरमाया जावें।

प्रत्यर्थी प्रतिनिधि ने पक्ष प्रस्तुत करते हुये बताया कि तत्समय पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को मध्येनजर रखते हुए जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को उनके शस्त्र सम्बन्धित थानो में जमा कराये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। तत्समय की स्थिति में आलोच्य आदेश की प्रति की व्यक्तिगत तामील कराया जाना सम्भव नहीं था इसलिये आदेश का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से कराया। श्री गुर्जर द्वारा सूचना के उपरान्त शस्त्र जमा नहीं कराये जाने पर पुलिस अधीक्षक, करौली की अभिशंषा पर इनका शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, जो विधिक प्रक्रिया के अनुसार सही है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त ही रखा जाने का कथन किया है।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। पंचायत आम चुनाव 2015 के समय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 को जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने मे जमा कराने के आदेश पारित किये जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। श्री गुर्जर द्वारा समय पर शस्त्र जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर दिनांक 04.02.2015 को श्री गुर्जर का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया था। तत्समय की स्थिति के अनुसार न तो सभी शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों पर व्यक्तिगत तामील करवाई जा सकती थी और ना ही

व्यक्तिगत सुनवाई की जा सकती थी। श्री गुर्जर द्वारा तय समय सीमा में शस्त्र जमा नहीं कराया गया था। श्री गुर्जर द्वारा निर्धारित समय तक शस्त्र को थाने में जमा नहीं करवाने का कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया। अपीलाण्ट अपने आप को साबित करने में नाकाम रहा। ऐसी स्थिति में हम श्री गुर्जर का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः श्री माधोसिंह पुत्र धर्मसिंह गुर्जर निवासी बनकी थाना सदर हिण्डौन का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1455/1978 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सहित मूल पत्रावली न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट, करौली में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11..2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.11.29 14:18:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: